

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

A.D/J.D(M)

क्रा

SASD
07/01/22
6386
07/01/2022

सेवा में,

महानिदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उत्तराखण्ड देहरादून।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक: 01 जनवरी, 2022

विषय: ड्राफ्ट खनन योजना, ड्राफ्ट स्कीम ऑफ माइनिंग, ड्राफ्ट संशोधित स्कीम ऑफ माइनिंग, ड्राफ्ट प्रगतिशील खान बंद करने की योजना एवं ड्राफ्ट अंतिम खान बंद करने की योजना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-2259/मु०ख०/26/खनन योजना/भू०खनि०ई०/2017-16, दिनांक 30 सितम्बर, 2021 के सन्दर्भ में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन की अनुमति लिये बिना ड्राफ्ट खनन योजना, ड्राफ्ट स्कीम ऑफ माइनिंग, ड्राफ्ट संशोधित स्कीम ऑफ माइनिंग, ड्राफ्ट प्रगतिशील खान बंद करने की योजना एवं ड्राफ्ट अंतिम खान बंद करने की योजना के संबंध में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के कार्यालय ज्ञाप संख्या-302/मु०ख०/26(T.C)/भू०खनि०ई०/2015-16, दिनांक 17 जून, 2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

कृपया उक्तानुसार लिये गये निर्णय के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या- (1)/VII-A-1/2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
अनु सचिव